

झारखण्ड विधान सभा



सत्यमेव जयते

झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय
विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

आरखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय विधेयक-2016

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. परिभाषाएँ
3. विश्वविद्यालय की स्थापना और समावेशन
4. विश्वविद्यालय का मुख्यालय
5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य
6. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, पंथ अथवा मतवाद से परे सबके लिए खुला होगा
7. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ तथा कार्य
8. कुलाधिपति
9. कुलपति
10. प्रतिकुलपति
11. वित्त परामर्शी
12. निदेशक, शोध एवं विकास
13. कुलसचिव
14. विश्वविद्यालय के प्राधिकार
15. विश्वविद्यालय के अधिकारी
16. शासी परिषद्
17. परिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ
18. परिषद् के सदस्यों की रिक्ति एवं कार्यकाल की शर्तें
19. अकादमिक परिषद्
20. अकादमिक परिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ
21. वित्त समिति
22. वित्त समिति के कार्य एवं शक्तियाँ
23. निदेशक
24. संकायाध्यक्ष
25. राज्य सरकार के द्वारा भुगतान
26. विश्वविद्यालय का कोष
27. लेखा एवं अंकेक्षण
28. पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि
29. रिक्तियों के द्वारा अधिनियम और कार्यवाही का अमान्य नहीं होना
30. विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्रों का प्रदत्तीकरण
31. प्रतिवेदन एवं सूचना
32. अधिकारियों और कर्मचारी लोक सेवक होंगे
33. विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों की सेवा की समाप्ति, पदच्युतिकरण, अवनति या बरखास्तगी
34. राज्य सरकार की निर्देश देने संबंधी शक्तियाँ
35. विनियम बनाने की शक्ति
36. प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति
37. अस्थायी प्रावधान
38. क्षतिपूर्ति
39. कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति

झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय विधेयक-2016

[सभा द्वारा यथापारित]

प्रस्तावना

यह विचारणीय है कि समाज में शांति और समरसता बनाये रखने तथा कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस और प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है।

समय के अनुरूप आवश्यकता है कि-(i) राज्य के पुलिस, केन्द्रीय पुलिस एवं सेना तथा निजी सुरक्षा संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम, प्रशिक्षित और पेशेवर मानवबल तैयार करने, (ii) राज्य के पुलिस, केन्द्रीय पुलिस एवं सेना तथा निजी सुरक्षा संगठनों में अपने कैरियर के निर्माण हेतु राज्य के युवाओं के लिए अवसर, (iii) विभिन्न किस्म के अपराधों यथा- आतंकवाद, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, दूरसंचार अपराध एवं ऐसे अपराध जिनमें न्यायिक विज्ञान में विशेषज्ञता की जरूरत है, के क्षेत्र में उत्पन्न हो रही चुनौतियों से निबटने के लिए मानवबल का प्रशिक्षण एवं तैयारी।

अतएव, झारखण्ड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि झारखण्ड राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और समावेशन हो जिसे 'झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय' के रूप में जाना जाय।

एतदद्वारा भारतीय गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखंड बिधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है।

अध्याय- I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) यह अधिनियम "झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम -2016" कहा जाएगा।
- (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ:

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ को अन्यथा जरूरी न हो:-

- (i) 'अकादमिक परिषद्' का अर्थ है धारा 19 के तहत गठित विश्वविद्यालय का अकादमिक परिषद्;
- (ii) 'शासी परिषद्' का अर्थ है धारा 16 के अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय का शासी परिषद्;
- (iii) 'संकायाध्यक्ष' का अर्थ है धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष;

- (iv) 'निदेशक शोध एवं विकास' का अर्थ है धारा 12 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय के निदेशक शोध एवं विकास;
- (v) 'निदेशक' का अर्थ है धारा 23 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के संस्थानों के निदेशकगण;
- (vi) 'वित्त समिति' का आशय है धारा 21 के तहत गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति;
- (vii) 'वित्त परामर्शी' का अर्थ है धारा 11 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के वित्त परामर्शी;
- (viii) 'विहित' का अर्थ है विनियम द्वारा विहित;
- (ix) 'प्रति कुलपति' का अर्थ है धारा 10 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति;
- (x) 'कुलसचिव' का अर्थ है धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव;
- (xi) 'विनियम' का अर्थ है धारा 35 के अधीन निर्मित विश्वविद्यालय के विनियम;
- (xii) 'विश्वविद्यालय' का आशय है धारा 3 के तहत स्थापित और समावेशित झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय;
- (xiii) 'कुलपति' का अर्थ है धारा 9 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति।

अध्याय- II

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और समावेशन:

- (1) 'झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय' के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- (2) कुलपति, प्रति-कुलपति, वित्तीय सलाहकार, शासी परिषद्, अकादमिक परिषद्, निदेशक, निदेशक अनुसंधान और विकास, संकायाध्यक्ष, कुलसचिव एवं अन्य अधिकारी एतद् द्वारा 'झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय' के नाम से निकाय का गठन करेंगे, जब तक कि वे इस पद पर हैं अथवा उनकी सदस्यता बनी रहेगी।
- (3) विश्वविद्यालय एक ऐसा निकाय होगा जो सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा के तहत संचालित होगा। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे संपत्ति के अधिग्रहण और उस पर स्वामित्व रखने, उसे संविदा पर देने और जिसे दिये गये नाम पर वाद चलाने का अधिकार होगा, या जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा।

4. विश्वविद्यालय का मुख्यालय:

विश्वविद्यालय का मुख्यालय उस स्थान पर हो सकेगा, जिसका उल्लेख राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य:

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, यथा:-

- (i) सुरक्षा बलों की संपूर्ण कार्यशैली में उत्कृष्टता लाने हेतु सुरक्षा विज्ञान और प्रबंधन में एक संस्थान का विकास करना;
- (ii) आंतरिक सुरक्षा के सभी मामलों में शोध/अनुसंधान को आगे बढ़ाना;
- (iii) व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के संदर्भ में विधि प्रवर्तक अभिकरणों के द्वारा ज्ञान और कौशल के लाभ का विस्तार करना;
- (iv) शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना ताकि शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जा सके;
- (v) प्रशिक्षण में नवाचार के द्वारा सुरक्षा बलों के लिए शिक्षण-प्रणाली का विकास और संचालन;
- (vi) विचारों व मूल्यों के संवर्द्धन और विकास तथा भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा को सुरक्षित करने की दृष्टि से पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों की कार्य-प्रणाली का उन्नयन;
- (vii) विधि के शासन के लिए सम्मान और न्यायसंगत प्रशासन के प्रति विश्वास का विकास करना;
- (viii) सतत् शिक्षा और अभ्यास के द्वारा जीविकोन्मुख पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करना;
- (ix) सुरक्षा बलों के साथ जनसामान्य के बेहतर परस्पर संवाद के लिए शोधकार्य और कार्यक्रमों के आयोजनों का कार्यान्वयन;
- (x) राज्य के युवाओं को प्रभावी और सक्षम सुरक्षा कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार करना तथा उक्त उद्देश्य से पाठ्यक्रमों का संचालन एवं डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करना;
- (xi) ऐसे अन्य उद्देश्य, जिनका इस अधिनियम के प्रावधानों में सामंजस्य नहीं हुआ है, का विश्वविद्यालय के आवेदन पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार की ओर से निर्दिष्ट किया जा सकता है।

6. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, पंथ अथवा मतवाद से परे सबके लिए खुला होगा:

- (1) किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी प्राधिकार की सदस्यता से, निकाय अथवा समिति से बाहर नहीं किया जा सकता अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य अथवा पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, वंश, पंथ, जाति, वर्ग, जन्म के स्थान, धार्मिक विश्वास या राजनीतिक या अन्य मतवाद के आधार पर भेदभाव कर वंचित नहीं किया जाएगा।
- (2) विश्वविद्यालय के लिए यह वैध नहीं होगा कि किसी व्यक्ति पर अपनी जाँच प्रक्रिया, लिंग, वंश, पंथ, जाति, वर्ग, जन्म के स्थान, धार्मिक विश्वास या राजनीतिक वृत्ति या अन्य मतवाद के आधार पर करके, उसे शिक्षक या विद्यार्थी के रूप में दाखिला दे अथवा विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या पद को धारण कराये अथवा किसी भी डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य प्रदान करे अथवा विश्वविद्यालय के किसी विशेषाधिकार का उपयोग प्रदान करे अथवा उसके उपकार का अधिकारी बनाए।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ तथा कार्य:

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों को निष्पादित करेगा, यथा-

- (1) विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन, तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक शोध, शिक्षण और अनुदेशन के संस्थानों व केन्द्रों की स्थापना।
- (2) पुलिस सेवा और पुलिस विज्ञान एवं सैन्य विज्ञापन की शाखाओं और अधिगम के अनुकूल अनुदेश प्रशिक्षण तथा शोध उपलब्ध कराना।
- (3) इलेक्ट्रॉनिक तथा दूरस्थ शिक्षण तंत्र एवं वितरण प्रणालियों में लचीलापन उपलब्ध कराते हुए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का निर्धारण।
- (4) परीक्षाओं का आयोजन तथा किसी व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना अथवा विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता या नाम को वापस ले लेना।
- (5) वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान कर पाना।
- (6) विश्वविद्यालय के मतानुसार इसके उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए विशेष केन्द्रों, विशेष अध्ययन केन्द्रों अथवा अनुसंधान एवं विकास हेतु अन्य विशिष्ट केन्द्रों की स्थापना।
- (7) शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन तथा पुनरुत्पादन हेतु प्रबंधन और प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन।

- (8) पुलिस को वस्तुगत दृष्टि से परिणामोन्मुख बनाने के लिए व्यावहारिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समवर्गी क्षेत्रों में अन्वेषण, संसूचन (खोज) एवं अपराध रोकने तथा अपराध से पीड़ितों के पुनर्वास से संबंध क्षेत्रों में अनुसंधान से जुड़े सभी कृत्यों का प्रायोजन एवं दायित्व वहन करना।
- (9) समान अथवा समरूप उद्देश्यों के लिए किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग एवं संबद्धता।
- (10) दुनिया के किसी भी हिस्से के शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों के साथ संबंध बनाने और सहयोग स्थापित करने के लिए पूर्णतया अथवा अंशतया शिक्षकों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों का सामान्य तरीके से आदान-प्रदान, जो समान उद्देश्यों के लिए प्रेरक हो।
- (11) अपराधों के अन्वेषण एवं संसूचन और अपराधिक न्याय तंत्र के कारणों के अनुसंधान के क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा शिक्षकों और शोधार्थियों के बीच संबंध रखना और उसे आगे बढ़ाना।
- (12) विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन और वित्त का प्रबंधन तथा लेखा का रख-रखाव।
- (13) जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से विश्वविद्यालय बना है, उसके लिए अनुदान, चंदा, दान और उपहार प्राप्त करने तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य प्राधिकारों या निकायों के साथ अनुदान प्राप्ति के समझौते में सम्मिलित होना।
- (14) विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हस्तांतरण द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति, उपहार, दान, उपकार अथवा वसीयत के रूप में उद्योग अथवा अन्य स्रोतों से निधि प्राप्त करना।
- (15) सभागार का निर्माण, रखरखाव तथा प्रबंधन एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास के लिए छात्रावास तथा संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास तथा अतिथि गृह का निर्माण।
- (16) विश्वविद्यालय के निवासी विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखने और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन।
- (17) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, मेडल तथा अन्य इनाम गठित करना।
- (18) निर्धारित तरीके से फीस एवं अन्य शुल्क तय करना, मांगना तथा प्राप्त करना।
- (19) विश्वविद्यालय आवश्यकता अथवा प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से भूमि या भवन को खरीदने या पट्टे पर लेने का कार्य कर सकेगा और यह उन नियमों और शर्तों के रूप में

मान्य हो सकता है जिससे किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने तथा रखरखाव हेतु उचित हो।

- (20) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियाँ एवं उद्देश्यों की संगति की दृष्टि से जो मान्य हो, के अनुरूप विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचने, विनिमय, पट्टा या अन्य तरीके से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से प्रबंधित करना।
- (21) सरकारी वचन पत्र एवं अन्य वचन पत्र, विनियम विपत्र, धनादेश (चेक) तथा अन्य विनिमय उपकरणों को वापस लेना और स्वीकारना, बनाना और अनुमोदन करना, छूट प्राप्त करना और समझौता वार्ता करना।
- (22) विश्वविद्यालय की निधि से विश्वविद्यालयों के सभी खर्चों को पूरा करने हेतु अग्रधन मान्य नियमों एवं शर्तों के अनुरूप या बिना प्रतिभूति के विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के विरुद्ध बोर्ड, प्रबंधन, वचन पत्र पर धन एकत्र करना या उधार लेना और लिये गये धन को राज्य सरकार की पूर्वानुमति से वापस करना।
- (23) विश्वविद्यालय के हित की दृष्टि से समय-समय पर मान्य तरीकों के अनुरूप विश्वविद्यालय के कोष का ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश और किसी निवेश को पक्षांतरित करना।
- (24) राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल संपत्ति के लिए हस्तांतरण पत्रों से संबद्ध अंतरण, बंधक पत्रों, पट्टा अनुसार अनुबंध और संपत्ति के संदर्भ में अन्य हस्तांतरण, सरकारी प्रतिभूतियों समेत, को कार्यान्वित करना।
- (25) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में निर्धारित तरीके से विद्यार्थियों का नामांकन।
- (26) अकादमिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय एवं अन्य पदों पर नियुक्ति करना।
- (27) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच अनुशासन का नियमन एवं लागू करना तथा निर्धारित तरीके से अनुशासनिक कार्यवाही करना।
- (28) प्राध्यापकी, सह-प्राध्यापकी, सहायक प्रध्यापकी, सम्पन्न प्रध्यापकी, मानद प्रध्यापकी, अनुबद्ध प्रध्यापकी, एमेरिटस प्राध्यापकी, एवं अन्य कोई शिक्षण, अकादमिक अथवा शोध- पदों के लिए योग्यता का निर्धारण और इनकी स्थापना के लिए राज्य सरकार को अनुरोध करना।
- (29) विश्वविद्यालय के निदेशकों, अनुसंधान और विकास निदेशक, प्राध्यापकों, सह- प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, अनुबद्ध प्राध्यापकों, कुलसचिव अथवा अन्य प्रकार के शिक्षकों और अन्वेषकों की नियुक्ति।

- (30) इस अधिनियम के प्रावधानों एवं विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी अथवा प्राधिकार, आदेश द्वारा अपने अधिकार (विनियमों के निर्माण को छोड़कर), अपने नियंत्रण के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकार को सौंप सकता है, बशर्ते कि अन्ततोगत्वा शक्तियों के प्रयोग का दायित्व उस अधिकारी को अथवा प्राधिकार को होगा, जिसके द्वारा अधिकार सौंपा गया है।
- (31) किसी उद्देश्य की प्राप्ति या परिवर्धन में सहायक या आनुषंगिक मामलों या सारे मामले पर, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, पर कार्यवाही करना।

8. **कुलाधिपति:**

- (1) झारखण्ड के राज्यपाल अपने कार्यालय के पदेन अधिकार से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। ये विश्वविद्यालय के प्रधान और शासी परिषद् के अध्यक्ष होंगे और जब मौजूद रहेंगे तो शासी परिषद् के बैठकों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (2) कुलाधिपति को यह अधिकार होगा कि वे विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित किसी संस्थान या केन्द्र के भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, शिक्षण, शोध एवं किये जानेवाले अन्य कार्यों तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, अकादमिक एवं वित्त से संबंधित किसी मामले की जाँच के लिए और इनके निरीक्षण या पुनरीक्षण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्देशित कर सकेंगे।

बशर्ते कि कुलाधिपति प्रत्येक मामले में कुलपति को निरीक्षण अथवा जाँच के अभिप्राय की सूचना देंगे अथवा निरीक्षण या जाँच कराने के क्रम में विश्वविद्यालय उसमें प्रतिनिधित्व का अधिकारी होगा।

- (3) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण और जाँच के नतीजों को कुलपति को प्रेषित कर सकते हैं और कुलपति उनके मंतव्य से शासी परिषद् और अकादमिक परिषद् को अवगत करायेंगे।
- (4) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की कार्यवाही या आदेश को अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों के अनुरूप नहीं होने अथवा यथेष्ट कारण के अभाव में लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकते हैं।

बशर्ते कि ऐसा आदेश या निर्देश देने के पूर्व इसके विषय में विश्वविद्यालय को निर्दिष्ट समय में यह कारण बताने को कहा जाएगा कि क्यों ऐसा आदेश या निर्देश नहीं दिया जाय। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वे उस पर विचार करेंगे।

- (5) कोई मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की संपुष्टि के अधीन होगा।
- (6) (i) विश्वविद्यालय के किन्हीं प्रशासनिक अथवा अकादमिक हितों के संदर्भ में आवश्यक समझे जाने पर कुलाधिपति के पास विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी। कुलाधिपति द्वारा जारी निर्देश का कार्यान्वयन विश्वविद्यालय के कुलपति, शासी परिषद् एवं अन्य निकायों द्वारा किया जाएगा।
- (ii) कुलाधिपति के ऐसे आदेश से कोई व्यक्ति यदि खिन्न हो तो वह कुलाधिपति के समक्ष आवेदन पेश कर सकता है, वे आवेदन पर विचार करेंगे और उन्हें यह शक्ति होगी कि वे अपने पूर्व के आदेश या आदेशों की पुष्टि करें, उनमें किंचित परिवर्तन करें या निरस्त करें जैसा वे उपयुक्त और उचित समझें।

9. कुलपति:

- (1) (i) कुलपति के रूप में ऐसे व्यक्ति जो क्षमता, ईमानदारी, नैतिकता एवं सांस्थिक निष्ठा के उच्चतम स्तर को प्राप्त किए हुए हो, की नियुक्ति होगी। कुलपति के रूप में जिनकी नियुक्ति होनी है, को किसी राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठन/सेना/ अर्द्ध सैनिक बल में सेवा दिया हुआ होना चाहिए या वे राज्य या केन्द्रीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस बल या सैन्य या अर्द्ध सैनिक बल में शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में प्रमाणित कीर्तिमान के साथ प्रशिक्षण से जुड़े रहे हों।
- (ii) कुलपति का चयन एक खोज समिति के द्वारा लोक सूचना या नामकरण या प्रतिभा खोज प्रक्रिया के द्वारा होगा। प्रतिभा खोज समिति के सदस्य पुलिस /सैन्य प्रतिष्ठान शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए और उनका विश्वविद्यालय के साथ किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। सूची तैयार करने के समय, खोज समिति को शैक्षिक उत्कृष्टता, देश या विदेश में प्रशिक्षण तंत्र का अनुभव तथा प्रशासनिक अभिशासन में पर्याप्त अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए। इसे लिखित रूप में कुलाधिपति के समक्ष पेश करते समय तीन से पाँच नाम वाले सूची के साथ दिया जाना अपेक्षित होगा।
- (iii) खोज समिति का गठन राज्य सरकार के द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगा-
- (a) सरकार द्वारा नामित एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति, जिसे शैक्षणिक या प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल हो और वही समिति का अध्यक्ष होगा।

- (b) निदेशक या राष्ट्रीय ख्याति के संगठन या संस्था का प्रमुख, जैसे -राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, भारतीय सैन्य अकादमी, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान विधि विश्वविद्यालय का कुलपति, जो सरकार के द्वारा नामित सदस्य होगा।
- (c) कुलाधिपति के द्वारा नामित एक सदस्य, जिसे अपने राज्य की उच्च शिक्षा का ज्ञान हो तथा जिसने प्रशिक्षण/शिक्षण के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की हो।
- (2) विश्वविद्यालय के कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त होंगे।
- (3) कुलपति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा, बशर्ते तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तीन वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। शर्त यह रहेगी कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से कार्यकाल के दौरान या विस्तारित कार्यकाल से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।
- (4) (क) कुलपति पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे तथा कुलाधिपति की इच्छा पर पद ग्रहण किए रहेंगे। बशर्ते कि राज्य सरकार की अनुशंसा पर कुलपति को कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
- (ख) इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अन्तर्गत कुलपति सामान्य तौर पर तीन वर्षों के लिए नियुक्त होंगे तथा इस समय की समाप्ति के बाद उन्हें कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से पुनः नियुक्त किया जा सकता है और वे कुलाधिपति की इच्छा से तीन वर्षों की अवधि से ज्यादा कार्य नहीं कर सकेंगे।
- (5) कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी तथा अकादमिक परिषद् तथा समिति के अध्यक्ष होंगे तथा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या दूसरे निकाय की बैठक में बोलने एवं उपस्थित रहने के लिए अधिकृत होंगे तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में शासी परिषद् की बैठक या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (6) कुलपति विश्वविद्यालय में निर्देश देने तथा अनुशासन के पालन के लिए जिम्मेवार होंगे।
- (7) कुलपति विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के निर्णयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।
- (8) इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, कुलपति को स्वीकृत श्रेणियों और वेतनमान में तृतीय श्रेणी के नियमित कर्मचारियों का चयन कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्वीकृत क्षमता के अनुसार विभिन्न पदों पर नियुक्त करने का अधिकार होगा तथा वे ऐसे कर्मचारियों पर पूर्ण अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

- (9) शैक्षिक संवर्ग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित अर्हता युक्त व्यक्ति प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पद पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त किये जायेंगे। किन्तु कुलपति के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या संविदा पर मात्र एक बार 11 माह के लिए नियुक्ति की जा सकेगी।
- (10) कुलपति की दूसरी सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जायेंगी।
- (11) कुलपति कुलाधिपति को हस्तलिखित पत्र के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं तथा यह इस्तीफा कुलाधिपति के द्वारा स्वीकार करने की लिखि से प्रभावी होगा।
- (12) जब कोई मुद्दा अत्यावश्यक प्रकृति का हो जिसमें तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो और यह, दिए गए अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अधिकृत प्राधिकार या निकाय के द्वारा तुरंत हल नहीं किया जा सकता तो कुलपति कार्रवाई कर सकते हैं, जो उन्हें उचित लगे तथा इसकी सूचना उस प्राधिकार या निकाय को देंगे जो सामान्य स्थिति में ऐसे मुद्दे को देखता है। बशर्त कि ऐसा प्राधिकार या निकाय अगर यह समझता है कि कुलपति द्वारा ऐसी कार्रवाई उचित नहीं है, तो वह इस बात को परिषद् को सूचित कर सकता है जो या तो कुलपति की कार्रवाई को उचित बताता है या इसे रद्द या संशोधित करता है जैसा यह सही समझता है और यह परिषद् के फैसले पर ही कार्रवाई होती है परन्तु यह फैसला कुलपति के पूर्व के आदेश के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा।
- (13) कुलपति ऐसी सभी दूसरी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन करेंगे जो अधिनियम के तहत उन्हें दिया गया है या परिषद् या सरकार के द्वारा सौंपा गया है।

10. प्रतिकुलपति:

- (1) कुलाधिपति प्रतिकुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से उसी तरह से करेंगे जैसे कुलपति की नियुक्ति होती है।
- (2) प्रतिकुलपति के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो क्षमता, ईमानदारी, नैतिकता एवं सांस्थिक निष्ठा के उच्चतम स्तर को प्राप्त किए हो एवं सरकार में सेवारत वरीय पुलिस पदाधिकारी के रूप में पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो।
- (3) प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। वह कुलाधिपति के द्वारा राज्य सरकार से सलाह के बाद निर्धारित शर्तों पर कार्य करेगा। वह कुलाधिपति की इच्छा से तीन वर्षों के लिए कार्य करेगा बशर्तें राज्य सरकार के परामर्श से उन्हें कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
- (4) प्रतिकुलपति के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ होंगी।

- i. विश्वविद्यालय का प्रधान समन्वयक पदाधिकारी होंगे, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों का सम्पादन करेंगे जो उन्हें कुलपति द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा दिया जाता है।
- ii. कुलपति की अनुपस्थिति या उनके अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थता की स्थिति में कुलपति के कार्यों का निष्पादन करेंगे।
- iii. कुलपति की अनुपस्थिति में शासी परिषद्, अकादमिक परिषद्, वित्त समिति तथा ऐसे दूसरे प्राधिकारों की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

11. वित्त परामर्शी:

- (1) वित्त परामर्शी एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। वह कुलाधिपति के द्वारा भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से या भारत सरकार या झारखण्ड सरकार के लेखा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति या पुनः नियुक्ति के आधार पर नियुक्त होगा।
- (2) वित्त परामर्शी की सेवा शर्तें कुलाधिपति के द्वारा राज्य सरकार से विचारोपरांत निर्धारित की जाएंगी तथा सामान्य तौर पर वे तीन वर्षों के लिए पद धारण करेंगे।
- (3) वित्त परामर्शी कुलपति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।
- (4) वित्तीय महत्व के सभी प्रस्तावों पर वित्त परामर्शी का सलाह अति आवश्यक होगा।
- (5) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना, लेखाओं की देख-रेख, समय-समय पर लेखाओं का अंकेक्षण करना, अंकेक्षण आपतियों का अनुपालन करना, स्वीकृत बजट के आधार पर राज्य सरकार या दूसरे स्रोतों से अनुदान की समय पर प्राप्ति, इन्हें सही तरह से रखने की व्यवस्था करना और प्राप्त अनुदानों का समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करना वित्त परामर्शी की जिम्मेवारी होगी।
- (6) वित्त परामर्शी की यह जिम्मेवारी होगी कि विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय मामले कानून तथा नियम के अनुसार निपटाए जाएँ।

12. निदेशक, शोध एवं विकास:

- (1) निदेशक, शोध एवं विकास की नियुक्ति कुलपति द्वारा परिषद् की स्वीकृति के आधार पर की जाएगी।

- (2) वह प्रख्यात शोधार्थी होगा जिसके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं में विशिष्ट स्तरीय शोध पत्र प्रकाशित रहे होंगे।
- (3) निदेशक, शोध एवं विकास, की सेवा शर्तें तथा योग्यता वैसे ही होंगी जो नियम में विहित हों।
- (4) वे कुलपति को संस्थान के अकादमिक, प्रशासनिक एवं दूसरे मुद्दों से संबंधित शोध एवं विकास के प्रबंधन में सहायता करेंगे।
- (5) वे कुलपति द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

13. कुलसचिव:

- (1) कुलसचिव की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा विहित सेवा शर्तों के आधार पर की जाएगी। कुलसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता को धारण करेंगे।
- (2) कुलसचिव के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ होंगी:
 - i. वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों की निगरानी, सामान्य प्रमाणन, कोष तथा ऐसी दूसरी सम्पत्तियों के लिए जिम्मेवार होंगे।
 - ii. वह विश्वविद्यालय के परिषद् तथा दूसरे प्राधिकारों के समक्ष वैसी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा जो इसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक होंगे।
 - iii. विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय के विरुद्ध सभी मुकदमों एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में अभिवचनों को कुलसचिव हस्ताक्षरित और सत्यापित करेंगे तथा ऐसे सभी वादों एवं कानूनी प्रक्रियाओं की कार्यवाही कुलसचिव द्वारा ही जारी व वितरित की जायेगी।
 - iv. वह अपने कार्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति जिम्मेवार होंगे।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकार एवं अधिकारी

14. विश्वविद्यालय के प्राधिकार:

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे-

- i. शासी परिषद्;
- ii. अकादमिक परिषद्;
- iii. वित्त समिति ;
- iv. वैसे दूसरे प्राधिकार जो अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किए जाते हैं।

15. विश्वविद्यालय के अधिकारी:

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारी होंगे-

- i. कुलाधिपति;
- ii. कुलपति;
- iii. प्रति कुलपति;
- iv. वित्त परामर्शी;
- v. निदेशक, शोध एवं विकास;
- vi. निदेशक;
- vii. संकायाध्यक्ष;
- viii. कुलसचिव;
- ix. विश्वविद्यालय की सेवा में वैसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किया जा सकता है।

16. शासी परिषद्:

विश्वविद्यालय के शासी परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

- i. कुलाधिपति, जो परिषद् के अध्यक्ष होंगे;
- ii. कुलपति जो परिषद् के उपाध्यक्ष होंगे;
- iii. प्रतिकुलपति;

- iv. वित्त परामर्शी ;
- v. निदेशक, शोध एवं विकास;
- vi. विश्वविद्यालय का एक निदेशक जिसे क्रमानुसार कुलपति के द्वारा नामित किया गया हो;
- vii. सैन्य बल के 23वीं डिवीजन के जेनरल-ऑफिसर-कमांडिंग (पदेन);
- viii. एक पुलिस पदाधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रैंक से नीचे का न हो, सरकार के द्वारा नामित होगा, जो पदेन सदस्य होगा;
- ix. प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा या उनके प्रतिनिधि जो विभागीय निदेशक के पद से नीचे का न हो;
- x. प्रधान सचिव, गृह विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो विशेष सचिव के रैंक से कम का नहीं हो;
- xi. राज्य सरकार के द्वारा नामित झारखण्ड में स्थित किसी विश्वविद्यालय के एक कुलपति;
- xii. राज्यों के द्वारा नामित वैसे पाँच व्यक्ति जो सुरक्षा, शिक्षा या लोक सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हों या विशिष्टता हासिल किए हुए हों;
- xiii. राज्य सरकार झारखण्ड विधान सभा के चार विधायकों को नामित करेगी ।
- xiv. कुलसचिव परिषद के सचिव होंगे ।

17. परिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ:

1. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिषद् सामान्य देख-रेख, निर्देश तथा विश्वविद्यालय के कार्यों के नियंत्रण के लिए जिम्मेवार होगा तथा विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या अन्य समितियों, अकादमिक परिषद् तथा वित्तीय समितियों के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति रखेगा
2. उपधारा (1) के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना परिषद् के पास निम्नलिखित कार्य एवं शक्ति होंगे -
 - i. विश्वविद्यालय के कार्य और प्रशासन से संबंधित नीति के प्रश्नों पर निर्णय लेना;
 - ii. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना ;
 - iii. नियम बनाना;

- iv. प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को मंजूर करना तथा इस पर विचार करना;
- v. विश्वविद्यालय के कोष/ पूँजी तथा धन का निवेश करना और वित्तीय समिति की अनुशंसाओं पर निर्णय लेना ;
- vi. अध्ययन सामग्री, विवेचनात्मक लेखों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों तथा समय-समय पर दूसरे साहित्यों के प्रकाशन के लिए वित्तीय व्यवस्था करना तथा उचित समझने पर उनकी बिक्री की व्यवस्था करना या बेचना;
- vii. विश्वविद्यालय के कर्मियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों के पद का सृजन या विलोपन के लिए अनुशंसा करना;
- viii. इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों को पूरा करने या शक्तियों के प्रयोग के लिए यदि आवश्यक हो तो समितियों का गठन करना;
- ix. विश्वविद्यालय के निदेशकों की नियुक्ति करना ;
- x. अपनी शक्तियों को विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, निदेशक, संकायाध्यक्ष कुलसचिव या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या प्राधिकार या अपने द्वारा नियुक्त समिति को सौंपना;
- xi. वैसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा कार्यों को करना जो अधिनियम या कानून के अंतर्गत इसे करने के लिए निर्देशित किया गया है और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों।

18. परिषद् के सदस्यों की रिक्ति एवं कार्यकाल की शर्तें:

- (1) इस भाग में प्रदत्त अन्यथाओं को छोड़कर परिषद् के किसी नामित (मनोनीत) सदस्य का सेवा काल उनकी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष का होगा;
- (2) एक पदेन सदस्य तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक वह अपने कार्यालय के पद पर बना रहता है, जिसकी वजह से वह परिषद् का सदस्य है;
- (3) परिषद् के किसी सदस्य, पदेन सदस्य को छोड़कर, की रिक्ति, विहित अवधि की समाप्ति के पहले होने पर उसे धारा 16 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही भरा जाएगा एवं ऐसा सदस्य तब तक कार्य करेगा जितना समय उस सदस्य का शेष रहा था जिसकी जगह पर इसे नामित किया गया हो;

- (4) सदस्य दूसरे सेवा काल के लिए पुनः नामित होने के योग्य होंगे;
- (5) कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित पत्र के माध्यम से अपने कार्यालय से त्याग पत्र दे सकता है तथा उसका त्याग पत्र अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा।

19. अकादमिक परिषद्:

- (1) विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे-
 - i. कुलपति, जो अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष होंगे;
 - ii. प्रति कुलपति ;
 - iii. राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत दो शिक्षाविद् या पेशेवर;
 - iv. राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत दो शिक्षाविद् या पेशेवर जो सैनिक, अर्द्धसैनिक बल या पुलिस के प्रशिक्षण या सेवा से जुड़े हों;
 - v. निदेशक, अनुसंधान एवं विकास ;
 - vi. निदेशक;
 - vii. विश्वविद्यालय के प्रत्येक विषय के एक प्रोफेसर चक्रानुक्रम के आधार पर जो कुलपति के द्वारा नामित होंगे।
- (2) कुल सचिव अकादमिक परिषद् के सचिव होंगे ।
- (3) उपधारा- (1) के खण्ड (iii) तथा (iv) के अन्तर्गत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

20. अकादमिक परिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ:

इस अधिनियम और कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का अकादमिक परिषद् निम्नलिखित कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा-

- i. विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों पर नियंत्रण रखना तथा विश्वविद्यालय में निर्देशन, शिक्षा एवं मूल्यांकन के स्तर को बरकरार रखना एवं विकास के लिए जिम्मेवार होना;
- ii. सामान्य अकादमिक हित के लिए अपनी ओर से या विश्वविद्यालय या बोर्ड के संकाय सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दे पर विचार करना तथा उस पर उचित कार्रवाई करना;

- iii. शासी परिषद् को ऐसे कानूनों के लिए अनुशंसा करना जो विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यों एवं छात्रों में अनुशासन से जुड़ा हो तथा इस अधिनियम के अनुकूल हो;
- iv. कानूनों के द्वारा दिए गए सारे कार्यों को करना एवं शक्तियों का प्रयोग करना।

21. वित्त समिति:

- (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-
 - i. कुलपति जो समिति के अध्यक्ष होंगे;
 - ii. प्रति कुलपति;
 - iii. वित्त परामर्शी;
 - iv. निदेशक, अनुसंधान एवं विकास;
 - v. शासी परिषद् के दो सदस्य (इनमें एक सरकार का नामित व्यक्ति तथा दूसरा बोर्ड के द्वारा नामित होगा);
 - vi. निदेशक;
 - vii. एक प्राचार्य, चक्रानुक्रम के आधार पर बोर्ड के द्वारा नामित होगा।
- (2) कुलसचिव समिति के सचिव होंगे।
- (3) नामित सदस्यों का कार्यकाल खण्ड (v) एवं (vi) के अन्तर्गत तीन वर्ष होगा।

22. वित्त समिति के कार्य एवं शक्तियाँ:

इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, वित्त समिति निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करेगी-

- i. विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा बजट के आकलन की जाँच करना तथा शासी परिषद् को इस पर परामर्श देना;
- ii. विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना;
- iii. विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति के मुद्दे पर परिषद् को अनुशंसा करना;
- iv. परिषद् को उन सभी प्रस्तावों पर अनुशंसा करना जो कोष प्राप्ति या खर्च से संबंधित हों;

- v. अधिशेष पूँजी के निवेश के लिए दिशा-निर्देश देना;
- vi. परिषद् को उन सभी प्रस्तावों पर अनुशंसा करना जो ऐसे खर्च से जुड़े हों जिनका प्रावधान बजट में नहीं था या बजट में प्रावधानित रकम से ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता हो ;
- vii. वैसे प्रस्तावों की जाँच करना जो वेतनमान के पुनरीक्षण, उन्नयन या वैसे मुद्दे जो बजट में इसे परिषद् के समक्ष रखने से पहले सम्मिलित न हों ;
- viii. विधि द्वारा लाए गए या दिए गए सभी कार्यों को पूरा करना तथा शक्तियों का प्रयोग करना।

23. निदेशक:

- (1) संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति कुलपति के द्वारा परिषद् के अनुमोदन के साथ उन सेवा शर्तों पर किया जायगा जो निर्धारित किए गए हों।
- (2) निदेशक संस्थानों के शैक्षिक, प्रशासनिक एवं दूसरे कार्यों को करने में कुलपति की सहायता करेंगे तथा कुलपति द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों को पूरा करेंगे एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

24. संकायाध्यक्ष:

- (1) संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति के द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से की जायेगी।
- (2) संकायाध्यक्ष कुलपति एवं संस्थानों या केन्द्रों के निदेशकों को विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं अन्य मुद्दों को सुचारु रूप से चलाने में सहायता करेंगे तथा ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कुलपति या निदेशक के द्वारा प्रदत्त हों।

अध्याय- IV

वित्त

25. राज्य सरकार के द्वारा भुगतान:

राज्य सरकार विश्वविद्यालय को समय-समय पर इस प्रकार राशि प्रदान करेगी जो अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए कार्य एवं शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक हो।

26. विश्वविद्यालय का कोष:

- (1) विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा जिसे विश्वविद्यालय कोष कहा जाएगा जिसके घटक होंगे-
- i. राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण, अनुदान या अंशदान,
 - ii. विश्वविद्यालय को सभी स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें शुल्क या वसूली सम्मिलित हों,
 - iii. विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदान, ऋण, उपहार, दान, वसीयत, धर्मदान एवं सभी प्राप्तियाँ जो कुछ भी हों,
 - iv. औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा विश्वविद्यालय के बीच सहमति पत्र के अन्तर्गत उद्योग जगत की सहभागिता से विश्वविद्यालय को प्राप्त धन जो विश्वविद्यालय संरचनात्मक संसाधनों, प्रायोजित पीठों एवं फैलोशिप को स्थापित करने के लिए हो;
 - v. विश्वविद्यालय को किसी भी दूसरे स्रोत या तरीके से प्राप्त धन;
 - vi. विश्वविद्यालय की सभी राशि ऐसे बैंक में जमा होंगी या निवेशित की जाएँगी जैसा बोर्ड वित्त समिति की अनुसंशा पर निर्णय करेगा;
 - vii. विश्वविद्यालय का कोष विश्वविद्यालय के खर्च के लिए प्रयुक्त होगा जिसमें अधिनियम के अन्तर्गत इसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं कार्यों के निर्वहन पर किए गए खर्च सम्मिलित होंगे।

27. लेखा एवं अंकेक्षण:

- (1) विश्वविद्यालय उपयुक्त लेखा एवं दूसरे उपयोगी दस्तावेजों का रख-रखाव करेगा तथा लेखा का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें आय-व्यय लेखा और तूलन पत्र सम्मिलित होगा एवं इसे विहित तरीके से किया जायगा।
- (2) विश्वविद्यालय कानून के द्वारा निर्दिष्ट अपने वित्तीय, लेखा तथा अंकेक्षण कार्यों को करने एवं इस पर नियंत्रण रखने एवं आंतरिक जाँच के लिए एक उपयुक्त तंत्र को अपनाएगा।
- (3) विश्वविद्यालय के खाते का अंकेक्षण प्रतिवर्ष एक अंकेक्षक के द्वारा किया जायेगा जो 1949 के अधिकार पत्र प्राप्त लेखापाल अधिनियम के द्वारा परिभाषित अधिकार पत्र प्राप्त होंगे, जिसकी नियुक्ति परिषद् के द्वारा की जायगी।
- (4) विश्वविद्यालय के खाते अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ इसी उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्ति या प्रतिष्ठान जो अधिकृत हो, से सत्यापन के बाद परिषद् के समक्ष पेश किया जायगा और

परिषद् विश्वविद्यालय को ऐसा निर्देश जारी कर सकता है जो वह उचित समझता है तथा विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

- (5) विश्वविद्यालय के लेखा का अंकेक्षण एक आंतरिक अंकेक्षक के द्वारा किया जायगा जो एक अधिकार पत्र प्राप्त लेखापाल या अधिकार प्राप्त लेखापालों का प्रतिष्ठान होगा जो परिषद् के द्वारा नियुक्त होंगे एवं उनका दायित्व लेखा पुस्तिका का समयानुसार अंकेक्षण सुनिश्चित करना होगा तथा ऐसे सावधिक आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन बोर्ड के समक्ष समीक्षा के लिए रखा जाएगा।
- (6) विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष में परिषद् द्वारा इसे निर्दिष्ट सभी कार्यों का विवरण होगा और विश्वविद्यालय इसे परिषद् के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में समीक्षा या अनुमोदन के लिए दी गई तारीख को प्रस्तुत करेगा।
- (7) वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन परिषद् के संकल्प के साथ राज्य सरकार के पास प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसे राज्य विधान मण्डल के समक्ष यथाशीघ्र रखा जाएगा।

28. पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि:

- (1) विश्वविद्यालय परिषद् की स्वीकृति से अधिकारियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए विहित शर्तों के अन्तर्गत पेंशन योजना, भविष्य निधि तथा बीमा की उचित व्यवस्था करेगा तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लाभ के उद्देश्य से संस्थाओं, क्लबों तथा संघों की सहायता करेगा तथा उन्हें स्थापित करने में मदद भी करेगा।
- (2) जब ऐसी भविष्य निधि का गठन हो जाता है तो उस पर सरकारी भविष्यनिधि कोष के अनुरूप भविष्य निधि कानून 1925 के प्रावधान लागू होंगे।

अध्याय 6

अनुपूरक प्रावधान

29. रिक्तियों के द्वारा अधिनियम और कार्यवाही का अमान्य नहीं होना:

शासी परिषद् विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकार या कोई समिति जो विनियम के द्वारा या अधिनियम के अन्तर्गत गठित हो, का कार्य या कार्यवाही किसी रिक्ति की वजह से या विश्वविद्यालय की समिति, प्राधिकार या ऐसे बोर्ड के गठन में खामी रहने की स्थिति में भी अमान्य नहीं हो सकती।

30. **विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्रों का प्रदत्तीकरण:**
- विश्वविद्यालय को शासी परिषद् की स्वीकृति पर डिग्री, डिप्लोमा देने तथा प्रमाण पत्रों को निर्गत करने तथा मानद उपाधि और दूसरी शैक्षिक उपलब्धियों या खिताबों को प्रदान करने की शक्ति होगी।
31. **प्रतिवेदन एवं सूचना:**
- विश्वविद्यालय राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और अन्य वैधानिक प्रधिकारों को प्रतिवेदन, कथन या सूचना जैसा कि समय-समय पर जरूरी हो, को प्रदान करेगा।
32. **अधिकारियों और कर्मचारी लोक सेवक होंगे:**
- भारतीय दण्ड संहिता की धारा-21 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी एक लोक सेवक समझा जाएगा।
- स्पष्टीकरण - इस भाग के उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय द्वारा कुछ खास समय या कार्य के लिए नियुक्त होगा या विश्वविद्यालय के कोष से मानदेय या भत्ता प्राप्त करेगा, को विश्वविद्यालय का कर्मचारी या अधिकारी समझा जाएगा जब तक वह अपनी नियुक्ति से संबंधित कार्य करेगा।
33. **विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों की सेवा की समाप्ति, पदच्युतिकरण, अवनति या बरखास्तगी:**
- (1) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, अधिकारी या कर्मी को उसके पद से हटाया या बरखास्त या पदावनत नहीं किया जाएगा बशर्ते कि उनके खिलाफ लगे गुनाहों की सूचना उन्हें दी जाती है तथा जाँच के क्रम में अपनी बेगुनाही को साबित करने का उचित मौका दिया जाता है।
- (2) सेवा की समाप्ति, बरखास्तगी या उप धारा-(i) के तहत पदावनति के आदेश के खिलाफ आदेश के निर्गत होने के 90 दिनों के भीतर कुलपति को अपील किया जा सकता है तथा कुलपति का निर्णय इस तरह की अपील में आखिरी होगा।
34. **राज्य सरकार की निर्देश देने संबंधी शक्तियाँ:**
- राज्य सरकार को समय-समय पर दिशा निर्देश देने की शक्ति, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जैसी आवश्यकता हो, होगी तथा विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देशों का पालन करने की बाध्यता होगी।
35. **विनियम बनाने की शक्ति:**

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासी परिषद् को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कार्यों का प्रबंधन तथा प्रशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति होगी।

(2) पूर्व प्रदत्त शक्तियों के प्रति दुराग्रह के बगैर, ऐसे विनियम निम्नलिखित विषयों से संबंधित होंगे-

i. विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक बुलाना, परिषद् की पहली बैठक तथा बैठक के क्रियाकलाप या गणसंख्या (कोरम) के मुद्दे को छोड़कर ।

ii. कुलपति के द्वारा किए गए कार्य या प्रयोग की शक्तियाँ ।

iii. अधिकारियों की शक्ति एवं कर्तव्य, विश्वविद्यालय की समिति एवं दूसरे निकाय का गठन, प्राधिकारों के सदस्यों की वैधता एवं अवैधता, सदस्य का कार्यकाल, सदस्यों को हटाना या नियुक्त करना, तथा इन मुद्दों से संबंधित बातें।

iv. परिषद् या इस अधिनियम के तहत गठित किसी निकाय की शक्तियाँ तथा कर्तव्य के पालन से संबंधित कार्यप्रणाली ।

v. विद्यार्थियों का नामांकन तथा पाठ्यक्रम को तैयार करने में मापदण्ड एवं कार्यप्रणाली।

vi. विश्वविद्यालय में अनुशासन लागू करने की प्रक्रिया ।

vii. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का प्रबंधन ।

viii. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री, उपाधि, उपलब्धि तथा इनका रद्दीकरण या वापस लेना इत्यादि ।

ix. परीक्षा के संचालन के साथ परीक्षकों की नियुक्ति तथा कार्यकाल ।

x. निदेशकों, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या समतुल्य शैक्षिक पदों, अधिकारियों या कर्मचारियों का आवश्यक योग्यताओं के साथ पदों के सृजन की अनुशंसा तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति।

xi. विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले शुल्क तथा खर्च जो इसे पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, सुविधाएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए हों।

xii. तौर- तरीके तथा शर्तें, जो बीमा, पेंशन और भविष्य निधि राशि के गठन के लिए होती हैं तथा ऐसी दूसरी योजनाएँ जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं शिक्षकों तथा अधिकारियों के हित के लिए हों।

- xiii. विश्वविद्यालय का अन्य संस्थाओं के साथ सम्पर्क के लिए नियम एवं शर्तें ।
- xiv. बजट आकलन की तैयारी तथा लेखा का रख-रखाव।
- xv. विश्वविद्यालय की ओर से अथवा विश्वविद्यालय के द्वारा समझौते या अनुबंध के क्रियान्वयन के तौर-तरीके।
- xvi. विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और वर्गीकरण।
- xvii. विश्वविद्यालय के कर्मचारी एवं शिक्षक, अन्य अधिकारी, निदेशक अनुसंधान एवं विकास के नियुक्ति की अवधि और नियम तथा शर्तें, वेतन तथा भत्ते, अनुबंधिक सेवाएँ, अनुशासन के नियम।
- xviii. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नियम एवं शर्तें।
- xix. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं शिक्षकों, निदेशकों तथा निदेशक अनुसंधान एवं विकास के कर्तव्य एवं शक्ति।
- xx. फेलोशिप, छात्रवृत्ति, वजीफा (स्टाइपेंड), पदक तथा पुरस्कार से संबंधित नियम एवं शर्तें।
- xxi. शासी परिषद् के निर्णय तथा आदेशों का प्रमाणीकरण।
- xxii. छात्रावास से संबंधित मुद्दे और कर्मचारियों, शिक्षकों के आवास तथा अतिथि गृह अनुशासनात्मक नियंत्रण सहित।
- xxiii. वैसे सभी मुद्दे जो अधिनियम के तहत विहित हों ।

36. प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति:

धारा 13 में निहित तथ्यों के बावजूद, प्रथम कुलसचिव राज्य सरकार के द्वारा अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद तीन साल के लिए उन शर्तों पर नियुक्त होगा जिसे सरकार उचित समझती है।

37. अस्थायी प्रावधान:

इस अधिनियम में निहित तथ्यों के बावजूद, कुलपति, परिषद् से स्वीकृति लेने के बाद तथा राशि की उपलब्धता की स्थिति में इस अधिनियम के प्रावधानों में दिए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय का काम करेगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुलपति किसी प्राधिकार के अस्तित्व में आने तक उस प्राधिकार की शक्तियों एवं कार्यों को करेगा।

38. क्षतिपूर्ति:

इस अधिनियम या इसके कानूनों के अन्तर्गत, इसकी शुद्ध निष्ठा के साथ, अनुपालन के क्रम में किए गए कार्य के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त परामर्शी, प्राधिकारों या अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य कोई व्यक्ति इन चीजों से संबंधित हो, से किसी प्रकार की न तो क्षतिपूर्ति की मांग की जायगी न ही मुकदमा, अभियोजन या दूसरी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी।

39. कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति:

- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के क्रम में यदि कुछ कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा ऐसा प्रावधान करेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से तारतम्य रखते हुए कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होंगे।
- (2) इस भाग के अन्तर्गत किए गए प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे।

यह विधेयक झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 दिनांक 29 जुलाई, 2016 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 29 जुलाई, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।